International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 22-02-2024, Accepted: 20-03-2024, Published: 10-04-2024
Volume 10, Issue 2, 2024, Page No. 61-63

सहकारी संघवाद में वस्तु एवं सेवा कर की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सागर साहनी
राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
भारत एक विशाल देश है। जिसमे स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक कई कर सुधार हुए हैं लेकिन 1 जुलाई 2017 को जीएसटी व्यवस्था लागू करना इसमें मिल का पत्थर साबित हुआ है। जीएसटी लागू होने से पूरे भारत में एक कर व्यवस्था की स्थापना में मदद मिली है। जीएसटी में सभी निर्णय लेने के लिए जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई है। जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। जिस कारण सभी राज्यों में सहकारी संघवाद की भावना का विकास हुआ है। जीएसटी लागू होने से राज्यों को जो राजकोष का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए जिससे कि संघ और राज्य सरकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया जा सके इन सभी तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

मूलशब्द: वस्तु और सेवा कर, जीएसटी काउंसिल, सहकारी संघवाद

वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत मे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी शासन का मुख्य उदयेश अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को एकल कराधान व्यवस्था के तहत समाहित करने का है जो यह अंतरराज्यीय भिन्नता के कारण होने वाली आर्थिक विकृति को भी कम करता है। राज्यों में कर संरचना को एकीकृत करते हुए, कर व्यवस्था की नई योजना एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार (वस्तुओ और सेवाओं) के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। जीएसटी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में कारगर योगदान किया है क्योंकि यह एक सरल और समान वस्तु और सेवाओं कर प्रणाली प्रदान करता है, जिससे व्यापार को सुधार हुआ है, जरूरतमंद लोगों को अधिक लाभ पहुँचा है और राज्यों के बीच आर्थिक एकता को बढ़ावा मिला है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है।

पर इसका प्रभाव भारतीय संघात्मक व्यवस्था पर क्या पड़ा है? क्या GST भी भारतीय संविधान की कुछ एकात्मक विशेषताओं (जैसे आपातकाल) वाला क़ानून है जो अर्ध–संघात्मक विशेषताओ को बढ़ाता है ? अब तक 150 देशो ने GST व्यवस्था को अपने देशो मे लागू किया है, जिसमे फ्रांस ने सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किया और भारत का GST मॉडल, कनाडाई सिद्धांत के दोहरा GST मॉडल पर आधारित है। 150 देशो ने इसे लागू किया पर अमेरिका द्वारा ऐसी कोई भी क़ानून लागू नहीं किया गया। अमेरिका का लागू ना करना क्या दर्शाता है?

D. K Srivastava कहते है राज्य सरकार के लिए राजस्व स्वायत्तता का प्रभावी नुकसान हुआ है। दरअसल संवैधानिक संशोधनों में मतदान की संरचना इस प्रकार की गई है कि, किसी भी राज्य सरकार के लिए अपने किसी भी फैसले को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। G. Vijay का मानना है की GST और Covid-19 दोनों ही असंगठित क्षेत्रो के लिए एक झटके के समान उभरकर सामने आया, जिसमे अधिकतम आय केंद्र के द्वारा हड़प लिया जाता है और राज्यों को कम मे गुजारा करना पड़ता है जिसे mUgksaus Politicisation of the entire distribution of these resources कहा है। इन सभी का विस्तार और अपने उठाये हुए सवालों का जवाब मै इसी आर्टिकल के अगले भाग मे देने का प्रयास करूँगा।

वस्तु एवं सेवा कर

GST भारत मे 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है।

इसके लागू होने से केन्द्र सरकार एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों जैसे राज्य वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और कुछ अन्य अप्रत्यक्ष करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गयी है। वस्तु एवं सेवा कर एक समान अप्रत्यक्ष कर है जो देश भर में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं पर तथा सभी सामान और सेवाएँ जो विदेशों से आयात की जाती है, उन पर लगाया जाता है।

GST का आगमन 122 वाँ संविधान संशोधन विधेयक द्वारा हुआ, जिसे राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त, 2016 और लोकसभा द्वारा 6 अगस्त, 2016 को पारित किया गया था। राज्यों के अनुसमर्थन के पश्चात् 8 सितंबर, 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे संविधान (101 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया।

इस सविंधान संसोधन ने अनुच्छेद 246A, 269 A और 279 A को जोड़ने के साथ–साथ, सातवें अनुसूची में परिवर्तनों के द्वारा लाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सूचियों को सम्मिलित करने और पूर्ववत लगाए गए प्रत्यक्ष करों को एक करने मे महत्वपूर्ण कार्य किया है जबकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण की परिभाषा करते हुए विषय और सत्ता का वितरण भी किया गया है।

वस्तु और सेवा (GST) पुरे देश के लिए लाभदायक व्यवस्था है। इससे अर्थव्यवस्था के सभी हितकर को सरकार और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इससे वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत में कमी आयी है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है और भारतीय वस्तुएं एवं सेवाएं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनी है।

जीएसटी का लक्ष्य करधारको और प्रतिक्रियाओं में समरूपता लाकर और आर्थिक बढ़ाओ को हटाकर भारत को एक सशक्त राष्ट्रीय बाजार बनाने मे मदद किया है। जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत अर्थव्यवस्था का पथ बहुत हद तक प्रशस्त हुआ है। अधिकांश केंद्रीय एवं राज्य का प्रत्यक्ष करों को एकल कर में सम्मिलित करके एवं समूचे वैल्यू चौन में पूर्ण चरण के प्रदाय (सप्लाई) में भुगतान किए गए करो के समंजन से व्यवसायों में प्रपटना (कैस्केडिंग यानी कर पर कर का लगान) के दुष्प्रभाव कम हुए है प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है और तरलता (लिक्विडिटी) में सुधार हुआ है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है यह बहु स्तरीय संग्रहण विधि का अनुसरण करता है इसमें प्रदाय (सप्लाई) के हर स्तर पर कर का भुगतान होगा और पिछले स्तर पर के

कर का क्रेडिट प्रदाय के अगले स्तर पर सामंजन सेट ऑफ के लिए उपलब्ध होगा। इससे कर भर अंतिम उपभोक्ता की ओर स्टैंडर स्थानांतरित होता है और उद्योगों को बेहतर नगदी प्रवाह और बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबंधन से लाभ होता है।

माल और सेवा कर से भारत में उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं भारत के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्डी बनी है और इससे भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल "मेक इन इंडिया" को बहुत प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा सभी वस्तुओं पर एकीकृत माल एवं सेवा कर आईजीएसटी आरोपित किया जाता है जो कि केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के समतुल्य होगा इससे आयातित उत्पादन और स्थानीय उत्पादों पर कराधान में क्षमता बढ़ती है। जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था मे राज्यों को और मज़बूती प्रदान करती है, जिसे Sonjoy Roy के कथन से साफ साफ समझा जा सकता है "जीएसटी वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर कुशल तर्कसंगत जीएसटी संरचना लाएगा जो देश की संघीय संरचना के साथ ताल मेल बना कर और भारतीय संघात्मक व्यवस्था मे बिना बाधा डाले आगे बढ़ेगी "।

GST मे शामिल कर

जी.एस.टी. शासन से पूर्व केंद्र और राज्यों द्वारा अलग अलग कर लिए जाते थे। वे कर जो केंद्र द्वारा लिए जाते थे और जिन्हें GST मे शामिल किया गया वे निम्नलिखित है –

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क,
- अतिरिक्त सीमा शुल्क
- अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क (एसएडी)
- उत्पाद शुल्क (दवाईया एवं प्रसाधन पदार्थ)
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़े की वस्तुएँ)
- सेवा कर
- केंद्रीय अधिभार और उपकर (केवल वस्तुओ और सेवाओं से सम्बंधित)

वे राज्य कर जो GST मे शामिल किये गए वे है

- राज्य वैट
- केंद्रीय बिक्रीय कर
- प्रवेश कर
- मनोरंजन एवं मनोरंजक कर
- विज्ञापन कर
- विलास कर (लग्जरी चीजों मे शामिल)
- लॉटरी शर्ट एवं जुए पर कर
- राज्य अधिभार और उपकर (जहां तक वे वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो)

बाकी और भी वस्तुएँ और सेवाए है जिन्हे GST से बाहर रखा गया है वे है–

संविधान के अनुच्छेद 366 (12 A) जैसा की 101 संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित है, वस्तुओ एवं सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, मानव के आपूर्ति के लिए अल्कोहल को छोड़कर, पर वस्तु एवं सेवा कर के रूप मे परिभाषित किया गया है।

इसीलिए संविधान में जीएसटी के परिभाषा के माध्यम से मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। अस्थाई रूप से पांच पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोलियम क्रूड, प्राकृतिक गैस, हाई स्पीड डीजल,मोटर पेट्रोल, और विमानन टरबाइन ईंधन को जीएसटी से बाहर रखा गया है।और इन सभी साथ–साथ विद्युत को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन सभी को जीएसटी में शामिल करने का निर्णय जीएसटी काउंसिल द्वारा लिया जाता है, जिसका जिक्र मै आगे करूँगा।

वस्तु एवं सेवा कर यह केंद्र और राज्यों के साथ सामान्य कर पर आरोपित एक दोहरा जी.एस. टी होगा। वस्तु और सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर केंद्र द्वारा लगाए गए कर को केंद्रीय जीएसटी कहते हैं, राज्य द्वारा लगाए गए करो को राज्य जीएसटी कहते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए करो को UGST कहते हैं। इसी प्रकार केंद्र द्वारा प्रत्येक अंतर राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कहते है। अब प्रश्न यह उठता है कि जीएसटी के द्वारा मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत एक संघीय देश है जहां केंद्र और राज्यों को उनके उपयुक्त कानून के माध्यम से करारोपण और एकत्र करने की शक्तियां प्रदत्त की गई है, दोनों सरकार के स्तर पर अलग–अलग जिम्मेदारियां के निष्पादन के अनुसार संविधान में शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है जिसके लिए उन्हें संसाधनों को जताने की आवश्यकता होती है द्वारा GST इसलिए राजकोषीय संघवाद की संवैधानिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

राजकोषी संघीयता की दृष्टि से, भारत के जीएसटी परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता उसकी कर तटस्थता नेतृत्व के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता है। किसी भी कर सुधार के लिए जो सबसे जरुरी पहलु होता है वो है कर तठस्थता और GST के लाने से पूर्व बहुत सारे विद्वानो ने इस पर अपने अलग अलग करो के मूल्यों के सुझाव दिए है। जैसे 13वे वित्त आयोग द्वारा नियुक्त GST टास्क फोर्स ने GST की दरों को बारह परसेंट रखने के सुझाव दिया जिसमे सात परसेंट राज्य जी.एस.टी और पांच परसेंट केंद्र जी.एस.टी।

जी.एस.टी परिषद द्वारा नियुक्त फिटनेस कमेटी ने जी. एस. टी की दरो को दो अलग दृश्टिकोण से विभाजित किया

1. जी.एस.टी के आगमन से पूर्व की दरो के अनुसार
2. एकत्रित करो के अनुसार

लेकिन कर तथास्थता को बनाये रखने के लिए फिटनेस कमिटी ने जी.एस.टी से पूर्व की दरो को तव्वाजू दी।

तटस्थता सिद्धांत का पालन करते हुए एकल करधान व्यवस्था, जिसको चार स्तरों मे बाटा गया।

चार स्तर है – 5%, 12%, 18%, 28%

5% वाला कर घरेलु आवश्यक चीजों जैसे नमक, चीनी इत्यादि।

12% कर संसाधित खाद्या, कंप्यूटर जैसे सामानो पर लगाया गया है।

18% कर केश तेल, साबुन, मंजन, और औद्योगिक वस्तुओ पर लगाया गया है।

28% वाला कर विलासिता/लक्ज़री चीज़ो जैसे गाड़ी, सिगरेट, एसी जैसों चीज़ो पर लगाया जाता है।

एक देश, एक टैक्स के अवधराणा पर आधारित होते हुए भी जी. एस.टी को चार पाटियो मे बाटा गया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के हित को बचाया जा सके।

आय तटस्थता के अलावा अगर इसके महत्वपूर्ण विशेषता की बात करे तो वो है केंद्र और राज्य के बिच साझा किए जाने वाला राजस्व कर। जैसा की यह सामान्य कर है जो पूरे देश में एक ही दर पर लागू होता है, जिससे राज्यों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में संभावित अंतरों को भी काफ़ी हद तक कम किया है और इसी वजह से हम ये नही कह सकते है की जी. एस.टी ने सहकारी संघवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हालांकि जी.एस.टी. परिषद और उसके द्वारा निर्णय लेने के तरीको पर बहुत सवाल उठाये गए है और यह दावा किया गया है कि यह केंद्रीयकरण को बढ़ावा देता है।

जी. एस टी. परिषद

अनुच्छेद 279ए जीएसटी परिषद से संबंधित है – यह एक ऐसा निकाय है जिसकी स्थापना, राशि के संबंध में सभी या किसी भी मुद्दे जैसे वसूले जाने वाले कर की राशि, प्रदान की जाने वाली छूट, प्रारंभिक सीमाएँ, अंतरराज्यीय व्यापार कर का बंटवारा और वस्तु एवं सेवा टैक्स के कार्यान्वयन, निर्धारण और अनुप्रयोग पर विस्तृत विचार विमर्श करना है।

जीएसटी परिषद की बैठक में कोरम तभी पूरा होगा जब सदस्यों की कुल संख्या का, आधे सदस्य बैठक में अवश्य हो। GST परिषद का प्रत्येक निर्णय एक बैठक में, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन–चौथाई के बहुमत से पारित होना चाहिए। भारित मतों की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी – केंद्र सरकार के वोटों का भार कुल वोटों का एक तिहाई होगा। सभी राज्य सरकारों के वोटों को एक साथ मिलाकर कुल वोटों के दो–तिहाई वोटों का भार होगा।

जी.एस.टी परिषद और जी.एस.टी द्वारा कुछ व्यापार पर पड़े नकारात्मक प्रभावो के वजह से ही कई राजनितिको द्वारा इसे गब्बर सिंह टैक्स जैसे नामो से नावाज़ा गया है। और यह भी कहा गया है की यह केंद्र सरकार का एक जरिया है राज्यों की स्वायत्तता को कम करने का। जी एस.टी के आने से बहुत से राज्यों के राजस्व मे भी कमी हुई है जैसे की केरल और तमिलनाडु इत्यादि। और हाल मे ही तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ऍम. के. स्टालीन अपने समकक्ष पीनाराई विजयन को लिखते है की अब वह केंद्र सरकार के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय मे जायेंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने जी.एस.टी के माध्यम से राज्य सरकारों का गला घोटने का काम की है। स्टालीन का कहना है कि तमिलनाडु का प्रति वर्ष बीस हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है अगर जी.एस.टी के आगमन से पहले तुलना करे तो।

और मेरे अनुसार जी.एस.टी का अमेरिका द्वारा लागू ना करना यही वजह हो सकता है जैसा की अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों के पूर्ण विभाजन पर आधारित है, तो अमेरिका किसी ऐसे क़ानून से राज्यों के स्वायता के साथ समझौता नही करना चाहता हो। और रही बात भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरला की, तो मेरे अनुसार जी.एस.टी से भारत की संघात्मक व्यवस्था पर अच्छे ही प्रभाव पड़े है हालंकि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े है पर जी.एस.टी ने बाकी और कमजोर राज्यों को मजबूत राज्यों के बराबर ला कर खड़ा किया है।

चूंकि केरल एक उपभोक्ता राज्य है, जहां वैट अवधि के दौरान लगभग 70 प्रतिशत वस्तुओं पर 14.5 प्रतिशत कर लगाया जाता है, कर की दर 9 प्रतिशत (एसजीएसटी) तक गिरने से एसजीएसटी के तहत राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ है।कर में इस गिरावट ने राज्य के समग्र जीएसटी संग्रह को प्रभावित किया है

हालांकि जी.एस.टी की अर्धासंघात्मक विशेषता वाले गुणों को बहुत से राजनीतिज्ञओं ने नकारा भी है, जो हसीब.ए. ड्राबू के कथन से साफ साफ समझा जा सकता है –भारत मे जी.एस. टी का मॉडल भारतीय संघात्मक व्यवस्था को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला अब तक का क़ानून है क्योंकि जी.एस.टी. परिषद के सदस्य भारत के हर कोने से लिए जाते है जिसमे हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एक सदस्य और केंद्र से दो सदस्य. ड्राबू कहते है कि भारत के हर प्रतिनिधि संस्थान बहुसंख्यक पक्षपात पर आधारित होता है पर GST परिषद इससे भिन्न है क्यूंकि यहाँ हर राज्य को बराबर कि सदस्यता दी गयी है (बिना उनके जनसंख्या दृश्टिकोण को शामिल किये), सभी राज्य, राज्य के तौर पर सामान है।

आर. श्रीनिवासन और एस. राजा सेथु दूरई अपने एक लेख जिसका शीर्षक "Tax Contribution By States Needs To Be Revisited" कहते है की इसमें कोई शक नहीं की जी.एस.टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पर जैसे की पहले आठवीं वित्त आयोग ने संघ उत्पाद शुल्क के वितरण के समय, बाकी सारे विकल्पों जैसे जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय के अलावा कर योगदान को भी एक महत्वपूर्ण पहलु माना था ठीक उसी प्रकार वित्त आयोग को फिर से करने की जरुरत है। दूसरे शब्दो मे कहे तो यह मतलब निकालता है की जी.एस.टी दरे भी उनके द्वारा दिए गए करो के योगदान के अनुसार कम ज्यादा होना चाहिए और केंद्र को केंद्र उत्पाद शुल्क के (जी.एस.टी) वितरण मे करो के योगदान को एक पहलु के रूप मे जोड़ना चाहिए।

हाल ही मे "The Hindu Data Team" द्वारा यह आकड़ा लाया गया जिसमे पंचायतो को सिर्फ 1 प्रतिशत ही आय, करो (केंद्र और राज्य मिलाकर) द्वारा प्राप्त होती है, जिसमे 80% केंद्रीय अनुदान द्वारा और 15% राज्य द्वारा। और इसी कारण पंचायतो को राजस्व की कमी से गुजरना पडता है। जहा तक मेरा मानना है कि GST का कुछ प्रतिशत कर, जमीनी स्तर के सरकारों के लिए भी निर्धारित कर देना चाहिए जिससे जमीनी स्तर कि सरकार को मजबूती मिले और भारतीय सहकारी संघवाद को और मजबूत किया जाये।

निष्कर्ष

वस्तु एवं सेवा का अनुमोदन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है । यह एक मामूली और आसान उपाय है जिसका उद्देश्य देश की कर व्यवस्था को सरल, संगठित और पारदर्शी बनाना था और जिसने बनाया भी है, हालांकि इसकी कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े है पर इसके सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभावो पर हावी है, जो ना सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि सभी राज्यों को बराबरी दे कर भारतीय संघात्मक व्यवस्था को मजबूती दी है। और GST के बस आर्थिक और राजनैतिक फायदे ही नहीं बल्कि सामाजिक फायदे भी हुए है, GST ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया है, क्योंकि इसने सभी व्यावसायिक समूहों को बराबरी का मौका दिया है। GST ने नए कारोबारिक नवाचारों को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि इसने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने और बढ़ाने में मदद किया है।

सन्दर्भ सूची

1. Saini V, Guleria Y. GST—Restructuring India's financial federalism.
2. Ratha BBH. Center-State Financial Relation under the GST Regime: A Critical Study. Indian J. Integrated Rsch. L, 2023, 3(1).
3. Dahiya R, Dahiya P. Understanding the changing notions of centre-state financial relations under the GST regime. Bihar journal of, 2022, (133).
4. Mor M. A Comparative Study of India's GST Regime with the Canadian GST Model with Special Emphasis on the Idea of Fiscal Federalism. Issue 6 Indian JL & Legal Rsch, 2022, 4(1).
5. Joseph KJ, Kumary LA. India's GST Paradigm and the Trajectory of Fiscal Federalism: An Analysis with Special Reference to Kerala. The Indian Economic Journal,2023:71(1):187-203.
6. Reddy YV, Reddy GR. Indian fiscal federalism. Oxford University Press, 2018.